



RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.

(A State Government Undertaking)

Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015

Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfcsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

ई-टेण्डर (E-Tender)

आवेदित जिला

वार्षिक अधिकतम पिसाई क्षमता(मै0टन).....

आवेदित मात्रा (वार्षिक टन)

निविदाकार का नाम एवं पूर्ण पता :

(मय ईमेल, फ़ैक्स, लैण्डलाइन एवं मोबाईल नं.)

जमा अमानत राशि का विवरण

निविदा शुल्क का विवरण

प्रोसेसिंग फीस का विवरण

फोर्टीफाइड आटा बनाने व वितरण संबंधी निविदा प्रपत्र

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ऑक्टि गेहूं का भारतीय खाद्य निगम से उठाव कर पिसाई कर फोर्टीफाइड आटा खुदरा विक्रेता तक पहुंचाने हेतु राज्य के जैसलमेर, डूंगरपुर, राजसमंद, सीकर टोंक, पाली, जालौर, सिरोही, झुंझनू, अलवर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, भीलवाड़ा, बाडमेर जिलो के शहरी क्षेत्र एवं जयपुर के ग्रामीण क्षेत्र हेतु (संलग्न विवरणानुसार) निविदा आमन्त्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अंतिम दिनांक

—

19.09.2012 तक

निविदा अपलोड करने की अंतिम दिनांक एवं समय

—

20.09.2012 सायं 06.00 बजे

तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक

—

21.09.2012 दोपहर 12:00 बजे

निविदा प्रस्तुत करने का माध्यम

निविदा प्रपत्र वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में मात्र ऑनलाईन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उक्त निविदाएं ई-टेण्डरिंग के माध्यम से प्राप्त की जाएंगी। निविदा से संबंधित विवरण निगम की वेबसाइट www.rsfcsc.org एवं खाद्य विभाग की वेबसाइट www.food.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

निविदा प्रपत्र
मूल्य रु. 1000/-



RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.

(A State Government Undertaking)

Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015

Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfcsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

चैक लिस्ट

निम्नलिखित दस्तावेज निविदा के साथ प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित हैं :-

क्र.सं.	दस्तावेज का विवरण	पृष्ठ
1	निविदा प्रपत्र मय शर्तें	1 – 16
2	वित्तीय प्रस्ताव	17
3	बिक्रीकर रजिस्ट्रेशन प्रति	
4	बिक्री कर शोधन प्रमाण पत्र {पूर्व से कार्यरत मिलों हेतु}	
5	जिला उद्योग केन्द्र में रजिस्ट्रेशन की प्रति	
6	फर्म /कम्पनी के रजिस्ट्रेशन की प्रति	
7	वित्तीय हैसियत का प्रमाण पत्र(नवीन स्थापित मिलर्स द्वारा) उस जिले के संबंधित क्षेत्र हेतु मासिक आवांटिट गेहूँ के बाजार मूल्य के बराबर अथवा रु0 50 लाख, जो भी अधिकतम हो, का होना आवश्यक है। वर्तमान में कार्यरत मिलर्स द्वारा गत दो वर्षों के सी.ए. द्वारा सत्यापित लेखों की प्रति, जिसके अनुसार न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर रु0 50 लाख हो	
8	उपलब्ध मशीनो एवं उपकरणों का विवरण (परिशिष्ट-2 के अनुसार)	

निम्नलिखित दस्तावेज निविदा के साथ प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य हैं :-

1	अमानत राशि का डीडी/बैंकर चैक का नम्बर..... राशि..... बैंक का नाम.....	
2	एफ एस एस ए के अन्तर्गत प्राप्त अनुज्ञापत्र	
3	न्यूनतम 10 मै. टन पिसाई क्षमता प्रति दिन का प्रमाण पत्र जो MSME से प्रमाणित हो	
4	निविदादाता का शपथ पत्र	
5	न्यूनतम 200 मै.टन भण्डारण क्षमता का कवर्ड गोदाम, जो कि मिल परिसर में स्थित होना अनिवार्य है, के बाबत् संबंधित दस्तावेज सा.नि.वि. /रजिस्टर्ड अभियंता द्वारा प्रमाणित	



RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.

(A State Government Undertaking)

Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015

Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

क्रमांक: एफ(66)/राराखानाआनि/फोर्टीफाईड आटा/2012/

दिनांक :

निविदा सूचना

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि., जयपुर द्वारा निर्धारित योग्यताधारी आटा चक्की/रोलर फ्लोर मिलधारकों से राज्य के समस्त जिलों में नीचे अंकित सारणी अनुसार उपभोक्ताओं के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत विभिन्न योजनाओं में केन्द्र सरकार से आवंटित गेहूं को भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से जिला प्रबन्धक/जिला रसद अधिकारी द्वारा आवंटित मात्रा का उठाव कर, साफ सफाई कर निविदा में दिये गये निर्धारित मानक अनुसार पोषक तत्व (Micro Nutrient) मिलाकर पिसाई करते हुये तैयार फोर्टीफाईड आटे को निगम द्वारा दिये गये आदेशानुसार 10 किलोग्राम की पॉली प्रोपलीन थैली में निगम द्वारा अनुमोदित डिजाइन के अनुसार पैकिंग कर क्षेत्रों की चिन्हित डेयरी बूथ/ उपभोक्ता भण्डार एवं उचित मूल्य की दुकान तक पहुंचाने हेतु राज्य के **जैसलमेर, डूंगरपुर, राजसमंद, सीकर, टोंक, पाली, जालौर, सिरोही, झुंझनू, अलवर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, भीलवाड़ा, बाडमेर जिलों के शहरी क्षेत्रों** एवं **जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र** हेतु निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

फोर्टीफाईड आटे के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ए.पी.एल. योजना के तहत क्षेत्रवार आवंटित गेहूं की अनुमानित मात्रा:-

क्र.स.	नाम जिला	जिले शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में एपीएल श्रेणी हेतु आवंटित गेहूं की अनुमानित वार्षिक मात्रा (एमटी में)	**अमानत राशि प्रत्येक जिले के शहरी/ग्रामीण क्षेत्र लिये)
1.	अलवर	24050	841750
2.	बाडमेर	15710	549850
3.	भीलवाड़ा	19800	693000
4.	चूरू	15100	528500
5.	धौलपुर	7900	276500
6.	डूंगरपुर	8900	311500
7.	श्रीगंगानगर	16700	584500
8.	हनुमानगढ़	15500	542500
9.	जैसलमेर	4500	157500
10.	जालौर	12000	420000
11.	झुंझनू	15800	553000
12.	पाली	18500	647500
13.	राजसमंद	8100	283500
14.	सीकर	18400	644000
15.	सिरोही	8500	297500
16.	सवाईमाधोपुर	12900	451500
17.	टोंक	12400	434000
18.	जयपुर (ग्रामीण)	64300	2250500

नोट:- उक्त मात्रा में केन्द्र सरकार से प्राप्त आवंटन की मात्रा के अनुसार कमी/वृद्धि हो सकती है।



RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.

(A State Government Undertaking)

Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015

Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

- ❖ अमानत राशि (उस मिलधारक की आवेदित वार्षिक उत्पादन क्षमता मैट्रिक टन में x 35 रुपये) के बराबर तकनीकी निविदा के साथ डीडी/बैंकर्स चैक के रूप में देनी होगी।
- ❖ निविदादाता द्वारा जिले के शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र हेतु आवंटित कुल गेहूँ की मात्रा अथवा अपनी पिसाई क्षमता के 2/3 भाग, दोनों में जो न्यूनतम हो, आवेदन करना अनिवार्य होगा।

आवेदित वार्षिक उत्पादन क्षमता का स्पष्ट उल्लेख तथा MSME से क्षमता का प्रमाणीकरण कराना होगा। फोर्टीफाइड आटे हेतु पूर्व में उपयोग में ली गई पिसाई क्षमता को कम करके ही शेष रही पिसाई क्षमता के लिए आवेदन किया जा सकता है। साथ ही निविदादाता द्वारा इस बात का उल्लेख किया जाना होगा कि वर्तमान में वह किन जिलों में कार्य कर रहा है तथा कितनी पिसाई क्षमता उपयोग में ले रहा है, जो कि संबंधित जिला रसद अधिकारी से प्रमाणित होनी चाहिए। (संलग्न परिशिष्ट – 6)

पल्लोर/रोलर पल्लोर मिलधारकों की निम्नलिखित योग्यता होनी आवश्यक है :

- 1 फर्म राजस्थान बिक्री कर विभाग में पंजीकृत हो।
- 2 जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकृत हो।
- 3 एफ.एस.एस.ए.एक्ट के अन्तर्गत लाईसेंसधारी हो।
- 4 फर्म के पास फोर्टीफाइड आटा बनाने के लिए आवश्यक मशीन एवं प्रयोगशाला उपकरण तथा प्रीमिक्स हेतु आवश्यक निर्धारित मशीनें होनी चाहिए।
- 5 फर्म की पिसाई क्षमता कम से कम 10 मै. टन प्रतिदिन होनी चाहिए। (जो MSME से प्रमाणित हो)
- 6 फर्म के पास अनिवार्यतः मिल परिसर में कवर्ड गोदाम की भण्डारण क्षमता कम से कम 200 मै. टन उपलब्ध होनी चाहिए जो सार्वजनिक निर्माण विभाग/रजिस्टर्ड अभियंता से प्रमाणित हो।
- 7 नवीन स्थापित मिलर्स को वित्तीय हैसियत की पुष्टि के लिए **तहसीलदार/सक्षम राजस्व अधिकारी अथवा बैंक** द्वारा जारी किया गया हैसियत प्रमाण पत्र जो कि अद्यतन दिनांक का होगा, प्रस्तुत करना होगा। हैसियत प्रमाण-पत्र उस जिले के संबंधित क्षेत्र हेतु मासिक आवंटित गेहूँ के बाजार मूल्य के बराबर अथवा **रु० 50 लाख, जो भी अधिकतम हो**, का होना आवश्यक है। वर्तमान में कार्यरत मिलर द्वारा गत दो वर्षों के लेखे की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित प्रति, जिसके अनुसार न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर **पचास लाख** हो, संलग्न करना आवश्यक होगा।

ई-टेंडर के ऑनलाईन प्रस्तुतिकरण हेतु दिशा-निर्देश:-

- 1 निविदाएं निर्धारित निविदा प्रारूप में ही प्रस्तुत की जायेगी। निर्धारित प्रारूप में अपलोड नहीं की गई निविदाएँ बिना कोई कारण बताए निरस्त कर दी जावेगी।
- 2 मूल निविदा के समस्त पृष्ठ मय परिशिष्ट आवश्यक रूप से निविदादाता द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित होने चाहिए।
- 3 ई-टेंडरिंग के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु निविदादाता वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 19/2011 पत्र संख्या एफ1(1)एफ डी/जीएफएण्डएआर/2007 दिनांक 30.9.2011 का अवलोकन कर सकते हैं।
- 4 निविदा प्रस्तुत करने के इच्छुक निविदादाता को सर्वप्रथम स्वयं को <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर्ड कराना होगा। ऑनलाईन टेंडर में भाग लेने वाले निविदादाता को डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट क्रय करना होगा जिसके माध्यम से वे इलेक्ट्रॉनिक निविदा हस्ताक्षर कर सकते हैं। निविदादाता किसी भी CCA Approved Certifying Agency यथा TCS, Safe Crypt, N Code आदि से इसे खरीद सकते हैं या अतिरिक्त सहायता के लिए e-procurement cell, Department of IT&C, GOR से सम्पर्क कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पहले से वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है उन्हें उक्त नया खरीदने की आवश्यकता नहीं है।



RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.

(A State Government Undertaking)

Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015

Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfcsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

- 5 निविदा प्रपत्र वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में मात्र ऑनलाईन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- 6 निविदा फार्म शुल्क राशि रु.1000/- का डी.डी. एवं निर्धारित अमानत राशि का डी.डी. जो कि Rajasthan State Food & Civil Supplies Corporation Ltd. Jaipur के पक्ष में जारी हो तथा टेण्डर प्रोसेसिंग फीस रु. 1000/- का डी.डी. जो M.D. RISL के पक्ष में जयपुर में देय हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा निविदा खोले जाने से पूर्व तीनों डिमाण्ड ड्राफ्ट राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय, जयपुर में प्रस्तुत कर दिए जाने अनिवार्य हैं। निविदा फार्म शुल्क, अमानत राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के डिमाण्ड ड्राफ्ट की स्कैन्ड (Scanned) कॉपी ऑनलाईन बिड के साथ अपलोड की जानी चाहिए।
- 7 निगम मुख्यालय में क्रय समिति द्वारा निर्धारित दिनांक व समय पर **Online Tenders** उपस्थित निविदादाताओं एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के सम्मुख खोले जावेंगे।
- 8 किसी भी दशा में **Physical/Off-Line Tenders** स्वीकार नहीं किए जावेंगे।
- 9 वेबसाइट पर निविदा अपलोड करने में किसी प्रकार के विलम्ब के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। निविदादाता को निर्धारित समय तक अपनी निविदा मय सभी आवश्यक दस्तावेजों के अपलोड कर देनी चाहिए।
- 10 ई-टेण्डर प्रस्तुत करनेसे पूर्व निविदादाता को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सभी सम्बन्धित दस्तावेज स्कैन कर निविदा के साथ संलग्न कर दिए गए हैं।
- 11 निविदादाता द्वारा प्रस्तुत सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
- 12 ई-टेण्डर प्रक्रिया के संबंध में निविदादाताओं को प्रशिक्षण हेतु RISL द्वारा नियमित आधार पर व्यवस्था की जाती है इस बाबत ईच्छुक निविदादाता **E-Procurement Cell, RISL** से सम्पर्क कर सकते हैं। हेल्प डेस्क का दूरभाष नं. 0141-4022688 है।
- 13 निविदायें जिलेवार आमंत्रित की गयी हैं। अतः निविदादाता एक निविदा प्रपत्र से एक ही जिले के लिए निविदा भर सकेगा।

प्रबंध निदेशक



निविदा की शर्तें एवं नियम

टिप्पणी :- निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदायें प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

निविदा का उद्देश्य:-

भारतवर्ष में अधिकांश नागरिकों के खाद्य पदार्थों में माइक्रोन्यूट्रियेन्ट की कमी आती जा रही है। इस कमी को दूर करना अत्यावश्यक है। राजस्थान सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत एपीएल योजना के गेहूं के स्थान पर फोर्टीफाईड आटा जिसमें आवश्यक तत्व आर्सेन, फॉलीक एसिड, एवं विटामिन बी-12 मिलाये जायेंगे उसे 10 किलोग्राम की पैकिंग में राशन कार्डधारकों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु निगम द्वारा सक्षम फ्लोर मिल एवं रोलर फ्लोर मिल धारकों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जा रहे हैं। निविदा में अनुमोदित मिलधारक को उस क्षेत्र में थोक विक्रेता/एजेण्ट नियुक्त किया जायेगा तथा उस पर विभागीय नियमों/प्रचलित एक्ट के प्रावधानों/धाराओं की पालना करने की बाध्यता रहेगी तथा सभी नियमों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। अनुमोदित फ्लोर मिलधारक/रोलर फ्लोर मिलधारक द्वारा भारतीय खाद्य निगम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विभिन्न योजनाओं में आवंटित गेहूं को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य जमा कराकर उठाव करना होगा तथा उसकी सफाई कराकर आवश्यक पोष्टिक तत्व निर्धारित मानक अनुसार मिलाते हुये फोर्टीफाईड आटा तैयार कर निगम द्वारा निर्धारित पॉली प्रोपलीन में (10 किलोग्राम की पैकिंग कर) शहरी/ ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा के चिह्नित डेयरी बूथ/उपभोक्ता भण्डार/उचित मूल्य की दुकान पर पहुंचाना होगा। तैयार फोर्टीफाईड आटे के सभी मानदण्डों की पालना अनुमोदित रोलर/फ्लोर मिलधारक द्वारा की जायेगी।

निगम द्वारा भविष्य में अन्य योजनाओं के गेहूं का फोर्टीफाईड आटा उक्त निविदा की शर्तों एवं दरों पर अनुमोदित फ्लोर मिल/रोलर फ्लोर मिल से तैयार करवाया जा सकता है। यदि अन्य योजनाओं के गेहूं का आटा बनाने का अतिरिक्त आदेश दिया जाता है तो गेहूं की संबंधित योजना की निर्धारित दर राशि भारतीय खाद्य निगम को जमा करायी जायेगी तथा बाजार दर के अन्तर की राशि की बैंक गारण्टी पृथक से जमा करानी होगी।

सामान्य अनिवार्य शर्तें

- 1 किसी भी दशा में **Physical/Off-line tenders** स्वीकार नहीं किए जावेंगे।
- 2 निविदाएं निर्धारित निविदा प्रारूप में ही प्रस्तुत की जायेगी। निर्धारित प्रारूप में अपलोड नहीं की गई निविदाएं बिना कोई कारण बताए निरस्त कर दी जावेंगी।
- 3 मूल निविदा के समस्त पृष्ठ मय परिशिष्ट आवश्यक रूप से निविदादाता द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित होने चाहिए।
- 4 निविदा फार्म शुल्क राशि **रु.1000/-** का डी.डी. एवं निर्धारित अमानत राशि का डी.डी. जो कि **Rajasthan State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.Jaipur** के पक्ष में जारी हो तथा टेण्डर प्रोसेसिंग फीस **रु. 1000/-** का डी.डी. जो **M.D. RISL** के पक्ष में जयपुर में देय हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा खोले जाने से पूर्व तीनों डिमाण्ड ड्राफ्ट राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय, जयपुर में प्रस्तुत कर दिए जाने अनिवार्य है। निविदा फार्म शुल्क, अमानत राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के डिमाण्ड ड्राफ्ट की स्कैन्ड (Scanned) कॉपी ऑनलाईन बिड के साथ अपलोड की जानी चाहिए।



RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.

(A State Government Undertaking)

Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015

Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfsc@gmail.com, website: www.rsfsc.org

- 5 निविदादाता को निर्धारित समय तक अपनी निविदा अपलोड कर सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सभी सम्बन्धित/आवश्यक दस्तावेज स्कैन (Scan) कर निविदा के साथ संलग्न कर दिए गए हैं।
- 6 निविदायें जिलेवार आमंत्रित की गयी हैं। अतः निविदादाता एक निविदा प्रपत्र से एक ही जिले के लिए निविदा भर सकेगा।
- 7 निविदा सूचना में एपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु आवंटित मात्रा को आधार लिया गया है। परन्तु भारत सरकार से विभिन्न योजनाओं में आवंटित गेहूं को सम्मिलित करने की दृष्टि से यह निविदा आमंत्रित की गई है अतः यह मात्रा योजना/आवंटन को दृष्टि में रखते हुए घटाई/बढ़ाई जा सकती है। अनुमोदित रोलर/फ्लोर मील से शहरी/ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कार्य कराया जा सकता है।
- 8 विशिष्ट आपात/आकस्मिक परिस्थितियों में अस्थायी रूप से निगम अनुमोदित मिलर से किसी अन्य जिले की मिलों में अतिरिक्त पिसाई क्षमता उपलब्ध नहीं होने पर अन्य जिलों में गेहूं पिसाई करा आटा वितरण का कार्य करा सकता है। किसी जिले के लिए अनुमोदित मिलर्स की आवेदित क्षमता से अधिक क्षमता उपलब्ध होने पर निगम हित में उसका उपयोग किया जा सकेगा।
- 9 निविदा दिनांक 20/9/2012 को सायं 6.00 बजे तक प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए। दिनांक 21/9/2012 को दोपहर 12.00 बजे क्रय समिति के द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निगम मुख्यालय में सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जाएगी।
- 10 निगम न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है तथा वह किसी भी निविदा को या उसके किसी भाग को बिना कोई कारण बताये रद्द कर सकेगा।
- 11 जो भी निविदायें निर्धारित समय व तिथि के बाद अपलोड होगी, उन्हें रद्द कर दिया जायेगा।
- 12 निविदाओं में वर्णित दरें निविदा खोलने की दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये वैध होगी अर्थात् तीन माह की अवधि में सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी कर दिए जावेंगे। इस तीन माह की अवधि को पारस्परिक सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है।
- 13 निविदायें दोहरे लिफाफा पद्धति के आधार पर प्रस्तुत करनी होगी। प्रथम लिफाफा "तकनीकी प्रस्ताव" तथा द्वितीय लिफाफा "वित्तीय प्रस्ताव" होगा। तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं के ही वित्तीय प्रस्ताव अर्थात् वित्तीय निविदा खोली जावेगी।
- 14 वित्तीय प्रस्ताव के लिए नियम एवं शर्तें
 1. वित्तीय प्रस्ताव में अंकित दरें शब्दों एवं अंकों में लिखी जानी चाहिये। इसमें त्रुटियां (काट-छांट) उपरिलेखन एवं करेक्टिंग फ्लूड नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित इस पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिये।
 2. यह निविदा आटा बनाने वाले मूल मिलधारकों से आमंत्रित की गई हैं। संबंधित मिल निर्धारित तकनीकी मानदण्ड, न्यूनतम प्रति दिन उत्पादन क्षमता एवं एफ.एस.एस.ए. मानदण्डों के अनुसार होनी चाहिये। यदि सम्बन्धित जिलो हेतु स्थानीय एवं बाहरी मिल की दरें समान प्राप्त होती हैं तो ऐसी स्थिति में स्थानीय मिल को निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण की दृष्टि से प्राथमिकता दी जा सकती है।
 3. यदि किसी जिले में सभी निविदादाताओं की दरें एक समान आती हैं अर्थात् सभी आवेदनकर्ताओं द्वारा पूल करके दरें दी गई हैं, अथवा दरें अत्यधिक अधिक/कम प्राप्त होती हैं, इस परिस्थिति में आवेदनकर्ता को निगम को अन्य जिलों में निविदा के माध्यम से प्राप्त दरों की औसत दर, जो भी न्यूनतम हो, पर कार्य करना होगा। द्वितीय विकल्प के रूप में निगम द्वारा निविदा को निरस्त भी किया जा सकेगा।



RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.

(A State Government Undertaking)

Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015

Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

4. निविदा में प्राप्त दरों के आधार पर सफल निविदादाताओं में से जो L1 होगा सर्वप्रथम उसकी आवेदित क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जावेगा अर्थात् उसको आवेदित क्षमता के बराबर गेहूँ आवंटन किया जावेगा तत्पश्चात आवश्यकता होने पर L2, L3 इत्यादि को वरीयता अनुसार उनकी आवेदित क्षमता की सीमा तक गेहूँ आवंटन किया जावेगा ।
5. निगम तैयार एवं पैकड फोर्टीफाइड आटे को मिलधारक के गोदाम से खुदरा विक्रेताओं तक वितरण/परिवहन का कार्य आवश्यकतानुसार पृथक रूप से अपने स्तर से भी करवा सकता है।
- 15 अमानत राशि के अभाव में निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। यह राशि **Rajasthan State Food & Civil Supplies Corporation Ltd., Jaipur** के पक्ष में शिड्यूल्ड बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में प्रस्तुत की जायेगी। असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथासंभव शीघ्र लौटा दी जायेगी।
- 16 अमानत/बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत (forfeit) कर लिया जायेगा :-
 - जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रुपान्तरण करता है अथवा निविदा प्रक्रिया प्रत्यक्ष /परोक्ष रूप से बाधित करता है।
 - जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, निष्पादित नहीं करता है।
 - जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
 - जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मर्दों का प्रदाय प्रारम्भ करने तथा आपूर्ति करने में असफल रहता है।
- 17 प्राप्त निविदा के संबंध में यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली सेवा/सामान संबंधी शर्तों विस्तृत विवरण आदि की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है। यदि उसको इन शर्तों या विस्तृत विवरण के अर्थ के संबंध में कोई संदेह हो तो उसे निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व प्रभारी अधिकारी से पूछताछ कर लेनी चाहिये तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिये।
- 18 नवीन स्थापित मिलर्स को वित्तीय हैसियत की पुष्टि के लिए **तहसीलदार/सक्षम राजस्व अधिकारी अथवा बैंक** द्वारा जारी किया गया हैसियत प्रमाण पत्र जो कि अद्यतन दिनांक का होगा, प्रस्तुत करना होगा। हैसियत प्रमाण-पत्र उस जिले के संबंधित क्षेत्र हेतु मासिक आवंटित गेहूँ के बाजार मूल्य के बराबर अथवा **₹ 50 लाख, जो भी अधिकतम हो**, का होना आवश्यक है। वर्तमान में कार्यरत मिलर द्वारा गत दो वर्षों के लेखे की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित प्रति, जिसके अनुसार न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर **पचास लाख** हो, संलग्न करना आवश्यक होगा।
- 19 मिल के पास गेहूँ की सफाई, पिसाई, पैकिंग एवं मानक जाँच, प्रीमिक्स हेतु उपकरण होने आवश्यक है। उक्त के प्रमाण स्वरूप संलग्न परिशिष्ट '2' में फर्म के पास उपलब्ध गेहूँ की सफाई, पिसाई, पैकिंग की मशीनों की सूची/संख्या अंकित करनी आवश्यक है।

प्रतिभूति राशि

- 20 **सफल निविदादाता मिलधारक फर्म को करार पत्र के साथ प्रतिभूति राशि (Security Deposit Amount) निगम में अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी, जो उसके कार्यादेश (अनुमोदित वार्षिक पिसाई मात्रा टन में x पिसाई दर टन में) अनुमानित मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर होगी।** यह राशि Rajasthan State Food & Civil Supplies Corporation Ltd., Jaipur के पक्ष में प्रस्तुत की जायेगी। प्रतिभूति राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक तथा सामान्य एवं वित्त लेखानियमों के अनुसार बैंक गारंटी के रूप में भी जमा करायी जा सकती है।



RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.

(A State Government Undertaking)

Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015

Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfsc@gmail.com, website: www.rsfsc.org

- 21 कार्यादेश के अनुसार अनुमोदित रोलर/पलोर मिल द्वारा संतोषजनक कार्य पूर्ण करने पर अनुबन्ध अवधि के समाप्त हो जाने पश्चात् अनुमोदित रोलर/पलोर मिल धारक के विरुद्ध कोई देय बकाया नहीं होने पर प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जायेगा।
- 22 निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि (Earnest Money) को प्रतिभूति की राशि (Security Deposit Money) के लिये समायोजित किया जा सकेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम नहीं होगी। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार किसी अन्य निविदा के संबंध में निविदादाता की पडी बयाना राशि/प्रतिभूति राशि को नई निविदाओं के लिए बयाना राशि/ प्रतिभूति राशि के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा।
- 23 प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत (Forfeit) किया जा सकेगा:-
 - अ. जब निविदादाता द्वारा संविदा के किन्ही निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
 - ब. जब निविदादाता गेहूँ का सम्पूर्ण उठाव तथा आटे का सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
 - स. प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

बैंक गारण्टी

- 24 अनुबन्धित मिलधारक फर्म को करार पत्र के साथ आवंटित गेहूँ के समर्थन मूल्य एवं आवंटित गेहूँ के योजना आधारित मूल्य के मासिक अन्तर के बराबर की बैंक गारण्टी जिला प्रबन्धक – निगम के कार्यालय में अनुबन्ध के निष्पादन के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। **बैंक गारण्टी** अनुबन्ध की दिनांक से **18 माह** तक की अवधि के लिये वैध होनी आवश्यक है। उक्तानुसार बैंक गारण्टी की राशि प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त होगी।
- 25 सफल निविदाकार को अनुबन्ध के समय राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश, 1976 के खण्ड 5 के तहत निर्धारित धरोहर राशि जमा करानी होगी।

आपूर्ति एवं सूचना सम्बन्धित शर्त :-

- 26 निविदादाता से आवश्यकता होने पर खाद्य विभाग की तत्समय निर्धारित दरों पर पी.डी.एस./नॉन-पी.डी.एस. सामग्री का परिवहन कार्य भी कराया जा सकता है जो निविदादाता को निगम के निर्देशानुसार करना होगा। वर्तमान में खाद्य विभाग द्वारा दिनांक 28.07.2010 से निर्धारित परिवहन की दरें निम्न प्रकार हैं :

दूरी स्लेब	वर्तमान दरें (रूपयों में)
प्रथम 5 किमी. तक	10.73 प्रति किमी
5 किमी से 15 किमी तक	6.57 प्रति किमी
15 किमी से 100 किमी तक	0.21 प्रति क्वि. प्रति किमी
100 कि.मी. से अधिक	0.16 प्रति क्वि. प्रति किमी

- 27 तैयार आटा 10 किलोग्राम या अन्य मात्रा की निर्धारित स्पेशिफिकेशन की थैली में पैक कर आदेशित खुदरा विक्रेता (यथा डेयरी बूथ/उपभोक्ता भण्डार/उचित मूल्य की दुकान) तक पहुंचाना होगा। परिवहन के दौरान उचित मूल्य दुकानों के स्तर पर आटा पहुंचाने की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। पैकिंग एवं परिवहन में किसी प्रकार की क्षति होने पर गेहूँ की मात्रा की बाजार दर की राशि वसूल की जायेगी। निविदादाता द्वारा एफ.सी.आई. से प्राप्त गेहूँ की पिसाई कर तैयार फोर्टिफाइड आटे को निर्धारित पैकिंग में गेहूँ प्राप्ति के सात दिवस में वितरण प्रारम्भ करना होगा तथा जिसकी अधिकतम आपूर्ति समयावधि 30 दिवस होगी।



RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.

(A State Government Undertaking)

Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015

Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfsc@gmail.com, website: www.rsfsc.org

- 28 निर्धारित अवधि में आपूर्ति नहीं करने पर फर्म को दिये गये आदेश की राशि को आधार मानते हुए **परिनिर्धारित क्षति (L.D.)** के रूप में निम्नानुसार कटौती की जायेगी:-
(ए) निर्धारित अवधि की एक चौथाई समयावधि की देरी पर 2.5 प्रतिशत कटौती/वसूली।
(बी) एक चौथाई से अधिक एवं आधी समयावधि की देरी पर 5 प्रतिशत कटौती/वसूली।
(सी) आधी से अधिक एवं तीन चौथाई समयावधि की देरी पर 7.5 प्रतिशत कटौती/वसूली।
(डी) तीन चौथाई से अधिक एवं निर्धारित अवधि की देरी पर 10 प्रतिशत कटौती/वसूली।
- 29 निविदादाता रा0रा0खा0ना0आ0 निगम लि0 का अधिकृत थोक विक्रेता/एजेण्ट होगा। अतः सफल निविदाकार को लेखों का संधारण जैसे स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर, केश बुक, बिल आदि का संधारण करना होगा एवं जांच हेतु प्रवर्तन स्टाफ/निगम द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को उपलब्ध कराया जायेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाने को गंभीर अनियमितता माना जावेगा एवं इस आधार पर निविदा समाप्त की जा सकेगी।
- 30 निविदादाता द्वारा एफ.सी.आई. से गेहूं उठाव की पाक्षिक सूचना प्रपत्र **अ** में, आटा आपूर्ति की सूचना प्रपत्र **ब** में तथा गेहूं उठाने आटा आपूर्ति तथा बकाया बाबत सूचना प्रपत्र **स** में जिला प्रबन्धक व निगम मुख्यालय को प्रेषित करनी होगी।
- 31 फोर्टीफाइड आटे की **अन्तर राशि** (उचित मूल्य दुकानदारों के विक्रय मूल्य की राशि – अनुमोदित लागत मूल्य) **आगामी माह की 5 तारीख तक** जिला प्रबन्धक रा0रा0खा0ना0आ0 निगम लि0 के कार्यालय में जरिये बैकर्स चैंक/डी0डी जो कि Rajasthan State Food & Civil Supplies Corporation Ltd., Jaipur के पक्ष में जारी हो, जमा करानी होगी (संलग्न परिशिष्ट-4 में सूचना तैयार कर के) तथा इस बाबत निगम मुख्यालय, जयपुर को भी माह की 5 तारीख तक सूचना दी जावेगी, **अन्यथा विलम्ब हेतु 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से राशि वसूली जायेगी**। अर्थात् निगम द्वारा आटे की निर्धारित वितरण दर में से फ्लोर/रोलर फ्लोर मिलधारक को उसकी निविदा के भाग की राशि को ही प्राप्त करने का अधिकार होगा। यदि निगम द्वारा दर आगामी दहाई पैसे में निर्धारित की जाती है तो उपभोक्ताओं से प्राप्त अंतर की राशि निगम में जमा करानी होगी।
- 32 सफल निविदाकार के विरुद्ध यदि कोई वसूली लेखों की जांच में निविदा अवधि एवं उसके पश्चात भी पाई जाती है तो राशि ब्याज सहित तुरन्त जमा करानी होगी।
- 33 गेहूं का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाव कर वितरण करने की अवधि में किसी भी प्रकार की हानि/गबन व चोरी हेतु अनुमोदित फर्म स्वयं जिम्मेदार होगी तथा सामग्री की क्षति/नुकसान की वसूली प्रचलित बाजार भाव से की जायेगी।
- 34 अनुबन्धित निविदाकार (थोक प्राधिकार-पत्र धारक)सामग्री वितरण करने पर आपूर्ति किये गये स्थान से संबन्धित डेयरी बूथ संचालक/उपभोक्ता भण्डार संचालक/उचित मूल्य दुकानदार को दिये गये **आटे की पहुँच का प्रमाण पत्र संलग्न परिशिष्ट-3** में उपलब्ध फार्म में प्राप्त करेगा तथा माह के अन्त में सभी विवरण एवं उनका समेकित विवरण जिला प्रबन्धक के निर्देशों में निगम को प्रस्तुत करेगा।
- 35 योजना के अनुसार पैकिंग में परिवर्तन के लिए निगम माप/वजन/ लागत इत्यादि संबंधी आवश्यक निर्देश देगा जिसकी पालना अनुमोदित रोलर/फ्लोर मिल धारक द्वारा की जानी आवश्यक है।
- 36 निविदादाता द्वारा आटे का उत्पादन एवं पैकिंग करने के पश्चात् उचित मूल्य की दुकानों एवं अन्य निर्दिष्ट स्थान पर आटे की आपूर्ति सही मात्रा, गुणवत्ता में दी जावेगी तथा निगम द्वारा दिये गए विक्रय सम्बन्धी आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावेगी। निगम द्वारा आटे के उत्पादन स्थल एवं उचित मूल्य की दुकान पर आटे की गुणवत्ता आदि के सम्बन्ध में सैम्पलिंग की जावेगी। सैम्पल में कमी पाये जाने पर आपूर्तिकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा एफ.एस.एस.ए. एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
- 37 उक्त शर्तों की पालना के अभाव में जिला प्रबन्धक द्वारा आगामी माह के कार्यादेश को रोका जा सकेगा तथा समुचित शास्ती (Penalty) आरोपित की जाएगी।



RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.

(A State Government Undertaking)

Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015

Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

38 गुण नियंत्रण :-

- (क) मिल धारक अपने स्तर पर एफ.एस.एस.ए. एक्ट के प्रावधानों के अनुसार मिल परिसर में प्रत्येक 50 टन आटे का Lot Wise Analysis / जॉच आदि करवायेगा तथा आवश्यक अभिलेख (रिकॉर्ड) संधारित करेगा।
- (ख) इसके अलावा मिल धारक स्वयं की लागत पर निर्धारित मात्रा 50 टन के लॉट के नमूनों का संसूचित NABL से मान्यता प्राप्त प्रयोग शाला से अथवा निगम में सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं से परीक्षण करवायेगा तथा परीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति करके तथा जिला प्रबंधक कार्यालय में प्रस्तुत करने के पश्चात ही आटे की आपूर्ति दी जायेगी। परीक्षण की प्रतियां निगम मुख्यालय को उसी दिन जरिये फैक्स/मेल द्वारा भिजवाई जायेगी।
- (ग) निगम के द्वारा Lotwise फोर्टीफाइड आटे की जांच एनएबीएल द्वारा अनुमोदित लेबोरेटरी पर करवाई जाने पर होने वाला व्यय सफल निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा।

39. सेम्पल के फेल होने या अमानक पाये जाने पर मिलर द्वारा 50 टन फोर्टीफाइड आटे के लोट/बैच की पिसाई राशि की निम्नानुसार पेनल्टी देय होगी:-

- प्रथम बार ----- पिसाई राशि का 10%
- द्वितीय बार ----- पिसाई राशि का 20%
- तृतीय बार ----- पिसाई राशि का 30%
- चतुर्थ बार या इसके पश्चात सेम्पल फेल होने की दशा में संबंधित मिल का निलम्बन कर विस्तृत जॉच प्रारम्भ की जावेगी।

EC Act के नियमों के अनुसार जॉच एवं कार्यवाही से सम्बन्धित शर्तें

- 40 राजस्थान सरकार द्वारा आवंटित गेहूं/आटा के डायवर्जन/विपथन का संपूर्ण दायित्व प्रदायकर्ता का होगा एवं इसके लिए विभाग/निगम ई.सी. एक्ट एवं अन्य नियमों के अनुसार प्रदायकर्ता के विरुद्ध आवश्यक सभी कार्यवाही कर करेगा एवं समुचित शास्ती(penalty) आरोपित कर सकेगा।
- 41 आवश्यकतानुसार सफल निविदादाता की रोलर/फ्लोर मिल का निरीक्षण जिला रसद अधिकारी/जिला प्रबन्धक/निगम प्रतिनिधि अथवा निगम द्वारा गठित अन्य कमेटी द्वारा किया जा सकेगा।
- 42 सफल निविदाकार द्वारा 1000/- रुपये (अक्षरे रुपये एक हजार मात्र) के स्टाम्प पर निगम के साथ अनुबंध किया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील



RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.

(A State Government Undertaking)

Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015

Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfcsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

भाग (अ) तकनीकी बिड

तकनीकी मापदण्ड

आटा तैयार करने के निम्नलिखित मानक निर्धारित होंगे तथा आटा निर्माण में निम्नलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी :-

(क) तैयार फोर्टीफाईड आटा The Food Safety and Standards(Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 के मानक अनुसार होना आवश्यक है, जिसके मानक निम्नानुसार हैं :-

Atta

1. Atta or resultant atta means the coarse product obtained by milling or grinding clean wheat free from rodent hair and excreta. It shall conform to the following standards:-

Moisture	Not more than 12.0 per cent (When determined by heating at 130-133°C for 2 hours).
Total ash	Not more than 2.0 per cent (On dry weight basis).
Ash insoluble in dilute HCl	Not more than 0.15 per cent (On dry weight basis).
Gluten (On dry weight basis).	Not less than 6.0 per cent.
Alcoholic acidity (with 90 per cent alcohol) expressed as H ₂ SO ₄ (On dry weight basis) It shall be free from rodent hair and excreta.	Not more than 0.11 per cent.

2. **Fortified Atta** means the product obtained by adding one or more of the following materials to atta, namely:-

- Calcium carbonate (prepared chalk, popularly known as creta preparata).
- Iron
- Thiamine
- Riboflavin, and
- Niacin.

The calcium carbonate powder, if added for fortification shall be in such amount that 100 parts by weight of fortified atta shall contain not less than 0.30 and not more than 0.35 parts by weight of calcium carbonate. It shall be free from Rodent hair and excreta.

Taste:- It shall have a palatable taste

Shelf Life :- The minimum shelf life of the finished product should be 30 days from the date of manufacturing.

Flour Characteristics:- It shall have uniform fine texture with the following partial distribution.

- 95 % must pass through 600 micrometer sieve
- 100 % must pass through 800 micrometer sieve

Moisture: Not more than 12%

Total Ash : Not more than 2.0 %



RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.

(A State Government Undertaking)

Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015

Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfcsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

Acid Insoluble Ash : Not more than 0.15 %

Alcoholic Acidity : Not more than 0.11 %

Safety Parameters : The product shall be :

- 1 Free from objectionable matter
- 2 Not containing any substances originating from micro-organism or any other poisonous or deleterious substances, in amounts which may represent a hazard to health.
- 3 The product should be hygienically packed.

(ख) फोर्टीफाईड आटा गेहूँ को पूर्णतया साफ-सफाई करके तैयार किया जाएगा। किसी भी प्रकार के कंकड़ एवं अन्य बाह्य तत्व सम्मिलित नहीं होने चाहिए।

(ग) गेहूँ की पिसाई में अधिकतम 4 प्रतिशत चोकर की मात्रा तथा 1 प्रतिशत छीजत (कंकर मिट्टी आदि) मान्य होगी अर्थात् गेहूँ की पिसाई करने वाली मिल को न्यूनतम 95 प्रतिशत आटा आपूर्ति करना होगा।

(घ) फोर्टीफाईड आटा निर्माण प्रक्रिया में स्वास्थ्य के समस्त मानदंडों की पालना की जाएगी।

(ङ) फोर्टीफाईड आटा निर्माण की निम्नलिखित प्रक्रिया होगी :-

- a) Cleaning of wheat from separators, de-stoner, scourer, aspiration etc.
- b) Milling Process : Grinding of clean wheat and milled into the flour/ course flour
- c) Micronutrient Fortification: the milled fine/course flour is homogenously mixed with the Vitamin/Mineral premixes using automated and precise weighing system.
- d) The product must be fortified as per the following given specification.

S. No.	Nutrient	Level of Micronutrient to be added so that everyone Kilogram of Wheat Flour shall have the following composition
1	Iron	30.00 mg
2	Folic Acid	1.3 mg
3	Vitamin B-12	0.01 mg

e) The bidder must ensure on every purchase of the vitamin./mineral premixes being added to the product are of standard quality and vegetarian origin by getting the premixes tested from a Standard Laboratory approved by the central/state govt./NABL

नोट:-

1. फर्म को फोर्टीफाईड आटे हेतु उपरोक्तानुसार प्रीमिक्स का विवरण परिशिष्ट-5 में माहवार प्रस्तुत करना होगा।
2. निगम प्रीमिक्स/पैकिंग/जांच हेतु अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं/लेबोरेट्रीज का पैनल नियत कर सकता है, जिनसे ही सफल निविदादाता को अनिवार्य रूप से प्रीमिक्स/पैकिंग सामग्री/जांच रिपोर्ट एकरूपता एवं सुव्यवस्था की दृष्टि से लेनी होगी।



RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.

(A State Government Undertaking)

Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015

Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfcsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

तकनीकी प्रस्ताव

- 1 अमानत राशि हेतु रूपये (संलग्न परिशिष्ट अनुसार **Rajasthan State Food & Civil Supplies Corporation Ltd. Jaipur** के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या दिनांक बैंक का नाम संलग्न करना अनिवार्य होगा। अमानत राशि के बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 2 तकनीकी निविदा प्रस्ताव का मूल्यांकन गठित क्रय समिति के द्वारा किया जाएगा। तकनीकी रूप से सफल निविदादाता का वित्तीय प्रस्ताव खोला जाएगा। वित्तीय प्रस्ताव खोलने से पूर्व सफल निविदादाताओं को लिखित सूचना दी जाएगी तथा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष वित्तीय प्रस्ताव खोले जाएंगे।
- 3 निविदादाता का पंजीकरण प्रमाण पत्र यदि कम्पनी का है तो कम्पनी एक्ट में मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन तथा यदि साझेदारी फर्म है तो पार्टनरशीप डीड की प्रमाणित प्रति निगम में तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी अनिवार्य है तथा जिस कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गई है वह कार्य पंजीकरण प्रमाण पत्र में अंकित होना चाहिए।
- 4 निविदादाता के पास मिल परिसर में स्थित स्वयं का कम से कम 200 मै. टन खाद्यान्न संग्रहित करने हेतु कवर्ड गोदाम, होना चाहिए, जिसके प्रमाण स्वरूप मानचित्र (ब्ल्यू प्रिंट) टाईटल डीड, भण्डारण क्षमता का सार्वजनिक निर्माण निगम /पंजीकृत अभियन्ता का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। **यह न्यूनतम भण्डारण क्षमता 10 मै. टन प्रतिदिन की पिसाई क्षमता हेतु है। अधिक पिसाई क्षमता होने पर उसी के अनुसार मिल की कवर्ड भंडारण क्षमता भी होना आवश्यक है।**
- 5 निविदादाता एफ.एस.एस.ए. एक्ट में लाइसेंसधारी होना आवश्यक है, एवं इसका प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है, जो कि कम से कम 31 दिसम्बर, 2012 तक वैध होना चाहिए तथा आगामी कार्यवर्ष हेतु भी नवीनीकृत कराया जाना होगा।
- 6 फर्म के पास स्वयं के परिवहन के साधन/किराये के वाहन उपलब्ध होने चाहिए जिनकी सूची अद्यतन रजिस्ट्रेशन के विवरण सहित प्रस्तुत करनी होगी। **भारतीय खाद्य निगम से गेहूँ का उठाव/ आटे की पैकिंग के पश्चात तैयार एवं पैकड फोर्टीफाइड आटे को मिलधारक के गोदाम से खुदरा विक्रेताओं तक वितरण व परिवहन का कार्य आवश्यकतानुसार पृथक रूप से निगम अपने स्तर से किसी भी प्रकार से करवा सकता है।**
- 7 पिसाई क्षमता के प्रमाण स्वरूप **MSME का उत्पादन क्षमता का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।** फ्लोर मिल/रोलर फ्लोर मिल को उसकी क्षमता तक का कार्य आदेश दिया जा सकेगा, उससे अधिक नहीं। प्रत्येक निविदादाता को उत्पादन क्षमता के प्रमाण-पत्र के साथ समान्तर अन्य राजकीय संस्था/ निगम/निजी संस्था के कार्यादेशों की सूचना भी देनी होगी ताकि शुद्ध वर्तमान उत्पादन क्षमता ज्ञात हो सके। अपनी क्षमता से अधिक कार्यादेश किसी भी स्थिति में प्राप्त किया जाना अनियमितता माना जावेगा एवं इसके लिए मिलर स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 8 निविदादाता का यह दायित्व होगा कि वह वांछित उत्पाद के संबंध में संविदा शर्तों के अनुरूप अपनी उत्पादन क्षमता, सप्लाई क्षमता मय परिवहन व्यवस्था से निगम को संतुष्ट करे। निगम द्वारा अधिकृत टीम द्वारा निविदादाता की निर्माण ईकाई का निरीक्षण किया जावेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि निविदादाता के पास वांछित उत्पादन हेतु प्लांट, मशीनरी मय आटा बनाने का संयंत्र उपलब्ध है तथा निविदा में सफल निविदाकार को सूचना के 7 दिवस में अनुबंध करना होगा। **उक्त अनुबंध प्रथमतः एक वर्ष के लिये किया जावेगा। आपसी सहमति से इसे आगे बढ़ाया जा सकेगा।**



RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.

(A State Government Undertaking)

Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015

Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

- 9 निविदादाता को निरीक्षण के दौरान टीम को आवश्यक सहयोग देना होगा। यदि निगम की निरीक्षण टीम द्वारा यह अनुभव किया जाता है कि निविदादाता के पास वांछित कार्य को सम्पादित करने हेतु आवश्यक क्षमता नहीं है और न ही आटा बनाने का संयंत्र है तो निगम के पास यह अधिकार होगा कि वह निविदादाता की निविदा निरस्त कर दें। अनुबंधित निविदाकार को निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत थोक विक्रेता नियुक्त किया जाएगा। इस हेतु प्राधिकार पत्र संबंधित जिले के जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया जायेगा। सफल निविदाकार प्राधिकार पत्र की सभी शर्तों को मानने के लिए बाध्य होगा।
- 10 सफल निविदाकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त गेहूँ की अच्छी सफाई बढ़िया स्तर की कराकर फोर्टीफाईड आटा तैयार करना होगा जिस हेतु फ्लोर मिल में पूर्ण साफ-सफाई तथा निर्धारित मानदंडों की पालना करनी होगी। किसी भी प्रकार के अपशिष्ट/कंकर अथवा unhygienic वातावरण मिल में पाये जाने पर निगम द्वारा निविदादाता के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी एवं अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा।
- 11 अनुबंधित निविदादाता द्वारा 10 किलोग्राम के पैकेट में निर्धारित स्पेशिफिकेशन की पॉली प्रोपलीन पैकिंग में खुदरा विक्रेता को उपलब्ध कराया जाएगा। पॉली प्रोपलीन पर पैकिंग दिनांक तथा Best Before 30 Days स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा। फोर्टीफाईड आटे के लिए सफाई, पिसाई, फोरटिफिकेशन, पैकिंग आदि इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसकी SHELF LIFE कम से कम 30 दिन हो। निविदादाता द्वारा यह प्रमाण-पत्र दिया जाना आवश्यक होगा कि सफाई किये गये आटे की सैल्फलाइफ 30 दिवस है।
 - ❖ पॉली प्रोपलीन बैग का मानकीकरण निम्न प्रकार होगा:- साईज :- 15 x 20 इंच, विविंग 2.5 जीएसएम तथा उस पर 75 माइक्रोन का लेमिनेशन किया हुआ हो तथा पॉली प्रोपलीन बैग खाद्य पदार्थ रखने की गुणवत्ता रखता हो। दो रंग में बैग पर मुद्रण किया जायेगा। वजन :- 30 ग्राम से 32 ग्राम।
 - ❖ दस किलोग्राम आटे के उपरोक्त बैग से भिन्न 15/20/25 किलोग्राम की पैकिंग की दृष्टि से निविदादाता निगम द्वारा इस उद्देश्य हेतु बनाए गए पैकेजिंग सामग्री के सप्लायर्स के पैनल की अप्रूव्ड दरों के अनुसार अपनी अतिरिक्त लागत की गणना कर सकेगा।
- 12 पॉली प्रोपलीन बैग पर मुद्रण का विवरण निगम द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा जिसे निविदादाता द्वारा थैली पर मुद्रण कराया जाना आवश्यक होगा।
- 13 निविदादाता के पास फोर्टीफाईड आटे की आहार योग्य गुणवत्ता को मापने का संयंत्र होना चाहिए। निविदादाता द्वारा आटे के लॉट जारी होने से पूर्व एन.ए.बी.एल. प्रयोगशाला परीक्षण होने के पश्चात् रिपोर्ट सही प्राप्त होने पर ही आटे का वितरण किया जाएगा। फोर्टीफाईड आटे के सैम्पल की जाँच निगम द्वारा नियत अनुमोदित प्रयोगशाला/NABL में करायी जायेगी, जिसका खर्च निविदादाता को वहन करना होगा।
- 14 निविदाकार को प्रत्येक माह गेहूँ की मात्रा का आवंटन आदेश जारी किया जायेगा तथा आवंटित मात्रा का निर्धारित समय पर भारतीय खाद्य निगम से उठाव संबंधित फर्म द्वारा किया जायेगा। इसके लिए गेहूँ की निर्धारित कीमत को भारतीय खाद्य निगम में जमा कराना होगा। आवंटित मात्रा के अनुसार सही गुणवत्ता वाले गेहूँ के उठाव करने की जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी। निविदादाता द्वारा खाद्य विभाग के आदेश दिनांक 27.12.2011 की अनुपालना की जावेगी तथा निर्धारित समयबद्ध रूप से गेहूँ का उठाव, राशि जमा कराना, आटा पिसाई तथा आटा आपूर्ति कार्य किया जाएगा।
- 15 निविदादाता का यह दायित्व होगा कि वह अच्छे/मानव आहार योग्य गेहूँ का ही भारतीय खाद्य निगम से उठाव करें यदि खुदरा विक्रेता के पास आटा मानव आहार योग्य नहीं पाया जाता है तो खुदरा विक्रेता को तुरन्त परिवर्तित लॉट में आटा उपलब्ध करायेगा एवं इसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी।



RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.

(A State Government Undertaking)

Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015

Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfsc@gmail.com, website: www.rsfsc.org

- 16 अनुबन्धित फ्लोर मिलधारक द्वारा प्राप्त किए गए गेहूं तथा विक्रय किए गए आटे एवं स्टॉक की सूचना अगले दिन जिला प्रबन्धक को देगा।
- 17 कार्यालय आदेश/निर्देशों की अवहेलना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध माना जावेगा।
- 18 निविदा को बिना कारण बताये पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार निगम का होगा।
- 19 निगम को नियमानुसार निविदा में उल्लेखित मात्रा को कम करने/बढ़ाने का तथा अनुबन्ध की निर्धारित अवधि को कम करने का भी पूर्ण अधिकार होगा। अनुबन्ध की अवधि नियमानुसार दोनों पक्षों की सहमति पर बढ़ाई भी जा सकेगी।
- 20 अनुमोदित फ्लोर मिलधारक को आटा मैन्यूफैक्चरिंग एवं वितरण के विभिन्न विनिर्दिष्ट नियमों की पालना करनी होगी। किसी नियम/एक्ट की अवहेलना उस नियम का उल्लंघन माना जायेगा तथा उसके लिये निगम कार्यवाही कर सकेगा, परन्तु किसी भी निविदाकार की किसी कार्यवाही से यदि निगम को क्षति होती है तो उसकी वसूली प्रचलित बाजार भाव से की जायेगी।
- 21 विवाद की स्थिति में न्याय का क्षेत्र जयपुर शहर होगा तथा विवादित बिन्दुओं पर आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
- 22 निविदादाता को राज्य सरकार/राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि० द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना करना आवश्यक होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

घोषणा पत्र

मैंने/हमने निविदा की समस्त शर्तों एवं नियमों को पढ़ लिया है एवं इनको मान्य एवं स्वीकार करते हुये इनकी पालना के लिये वचनबद्ध है तथा निगम की शर्तों पर बिना शर्त हमारी सहमति देते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील



RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.

(A State Government Undertaking)

Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015

Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

भाग (ब) वित्तीय बिड

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (वित्तीय प्रस्ताव) के अन्तर्गत जिला..... शहरी/ग्रामीण क्षेत्र (सम्बन्धित जिले का नाम जिस हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है) के लिए गेहूं में निर्धारित तत्वों को सम्मिलित करते हुये निर्धारित मानदण्डों अनुसार सम्मिलित करते हुए फोर्टीफाईड कर पिसाई करना, प्रिंटेड पॉली प्रोपलीन पैकिंग करना एवं उसके परिवहन की व्यवस्था करने हेतु निविदा प्रस्ताव।
- निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं पता मय दूरभाष/मोबाइल नं.
.....
.....

हमने राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा जारी की गई निविदा सूचना में वर्णित सभी शर्तों का अवलोकन कर समझ लिया है एवं हम इससे बाध्य होना स्वीकार करते हैं। स्वीकृति स्वरूप हमने इस निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। वर्णित सभी शर्तों के अनुसार हमारी दर 10 कि. ग्रा. के लिये निम्नलिखित अनुसार होगी—

क्र. सं.	कार्य का विवरण	एक मुश्त दर प्रति क्वि.(10 किग्रा पैकिंग हेतु)
1	अ. भारतीय खाद्य निगम से आवंटित गेहूं का उठाव कर रोलर/फ्लोर मिल गोदाम तक का परिवहन ब. पैकड फोर्टीफाईड आटे को मिलधारक के गोदाम से शहरी/ग्रामीण क्षेत्र (सम्बन्धित जिले का नाम जिस हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है) के डेयरी बूथ/उपभोक्ता भण्डार/उचित मूल्य की दुकान/अन्य चिन्हित स्थान तक की परिवहन की दरें	
2	गेहूं की साफ सफाई करना एवं निर्धारित मानक अनुसार पिसाई करना	
3	तैयार आटे में निम्नलिखित तत्वों की स्वयं के स्तर से खरीद करते हुए निम्नानुसार मात्रा में मिलाना:— क्र.सं. तत्व एक कि.ग्रा गेहूं 1. आर्इरन (Iron) 30 मि. ग्राम 2. फॉलिक एसिड 1.30 मि. ग्राम 3. Vitamin B-12 0.01 मि. ग्राम	
4	तैयार आटे को पॉली प्रोपलीन की 10 किलोग्राम की क्षमता में पैकिंग करना तथा पॉली प्रोपलीन बैग पर निगम द्वारा दिये गये विवरण की प्रिंटिंग करना। पॉली प्रोपलीन बैग का मानकीकरण निम्न प्रकार होगा:— साईज : 15 X 20 इंच, विविंग 2.5 जीएसएम तथा उस पर 75 माइक्रोन का लेमिनेशन किया हुआ हो तथा पॉली प्रोपलीन बैग खाद्य पदार्थ रखने की गुणवत्ता रखता हो। दो रंग में बैग पर मुद्रण किया जायेगा। वजन : 30 ग्राम से 32 ग्राम	
5	राज्य सरकार द्वारा भारित सभी कर, जो लागू हो	
6	योग (कॉलम 1 से 5)	
7	छीजत की राशि (5 किलो गेहूं की कीमत की राशि)	
8	चौकर की कीमत (अधिकतम 4 किलोग्राम की दर अंकित करें)	
9	बारदाना की लागत	
10	शुद्ध दर (6 + 7 - 8 - 9)	

दरें शब्दों में

- सभी कार्यों की अलग-अलग दर प्रस्तुत की जानी आवश्यक है।
- मिलर द्वारा एक से अधिक जिले/तहसील हेतु निविदा प्रस्तुत करने पर निगम के हितों की दृष्टि से मिलर की आवेदित क्षमता से अतिरिक्त उपलब्ध क्षमता का सर्वप्रथम उपयोग उसकी न्यूनतम दर वाले जिले/तहसील के लिए किया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील



RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.

(A State Government Undertaking)

Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015

Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfcsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

परिशिष्ट - 1

शपथ पत्र

(10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैंशपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि.....

1. हमारी फर्म/कम्पनी.....को आवश्यक वस्तु अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, 1954 एवं एफ.एस.एस.ए. 2006 के अंतर्गत गत तीन वर्षों में किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है साथ में ऐसा कोई प्रकरण प्रक्रियाधीन नहीं है।
2. हमारी फर्म/कम्पनी/मिल की न्यूनतम पिसाई क्षमता 10 मैट्रिक टन प्रतिदिन है।
3. हमारी फर्म/कम्पनी/मिल के पास मिल परिसर में स्वयं का न्यूनतम 200 मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता का कवर्ड गोदाम है तथा अधिक मात्रा के आदेशानुसार मिल की कवर्ड भण्डारण क्षमता तदनुसार बढ़ा ली जावेगी।
4. निविदा की शर्तों के अनुसार आवश्यक समस्त मशीनरी, उपकरण एवं संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं।

उपर्युक्त बिन्दुओं में अंकित तथ्यों में किसी भी प्रकार की असत्यता के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

दिनांक:-

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

(नोटेरी पब्लिक से सत्यापित कराया जावे)



RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.

(A State Government Undertaking)

Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015

Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfcsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

परिशिष्ट – 2

उपलब्ध मशीनों एवं उपकरणों का विवरण

(अ)

क्र.सं.	मशीनों का विवरण	मशीनों की संख्या	उपलब्धता— हां/नहीं
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

फोर्टीफाइड आटे में मिलाए जाने वाले आयरन, फोलिक एसिड एवं विटामिन बी-12 की जांच की मशीनों का विवरण

(ब)

क्र.सं.	मशीनों का विवरण	मशीनों की संख्या	उपलब्धता— हां/नहीं
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

(स)

मिल परिसर में स्थापित प्रयोगशाला का विवरण

फर्म की प्रतिदिन मै. टन आटा उत्पादन की क्षमता है जिसके लिए निविदा के साथ उपलब्ध मशीनों का उक्त विवरण संलग्न कर दिया

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील



RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.

(A State Government Undertaking)

Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015

Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfcsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

परिशिष्ट - 3

खाद्यान्नों की उचित मूल्य दुकान स्तर तक पहुंचने बाबत प्राप्ति रसीद

आज दिनांक को समय मैसर्स

स्थान द्वारा वाहन संख्या से गेहूं/चावल/आटा

क्विण्टल बैग्स प्राप्त कर लिया गया है, जिसका अंकन उचित मूल्य दुकान पर संघारित स्टॉक रजिस्टर में कर लिया गया है।

योजना	खाद्यान्न गेहूं/चावल/आटा	चालान नं.	दिनांक	कट्टे	मात्रा

दिनांक

हस्ताक्षर (अ)
सरपंच/उपसरपंच/वार्ड
पंच/पटवारी/ग्राम
सेवक/स्थानिय दो या तीन
व्यक्तियों के

हस्ताक्षर (ब)
वाहन चालक
वाहन संख्या

हस्ताक्षर (स)
उचित मूल्य दुकानदार
स्थान

मोबाइल नम्बर



RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.

(A State Government Undertaking)

Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015

Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfcsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org



RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.

(A State Government Undertaking)

Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015

Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfsc@gmail.com, website: www.rsfsc.org

विभिन्न योजनाओं में प्राप्त गेहूँ का आटा तैयार कर उचित मूल्य दुकानों/ चयनित डेयरी बूथों पर आपूर्ति का मिलवार / जिलेवार विवरण

1. आटा मिल का नाम – पूर्ण पता –
2. अधिकृत प्रतिनिधि का नाम – फोन/मोबाइल नम्बर – ई-मेल पता –
3. जिले का नाम(जिसमें आटे की सप्लाई दी गई)
4. आटा मिल की मासिक पिसाई क्षमता मेट्रिक टन में

परिशिष्ट – 4

मासिक क्षमता	वार्षिक क्षमता	जिले के लिए आवेदित क्षमता	
		शहरी	ग्रामीण

5(अ) सुरक्षा जमा राशि (security deposit) का विवरण

नियमानुसार निर्धारित राशि	जमा राशि	जमा का विवरण (DD/ Cheque no.& Date)

5(ब) बैंक गारन्टी का विवरण:-

बैंक का नाम	कुल राशि	वैधता अवधि	आवेदित गेहूँ की मात्रा विवन्तल में

6. माह

योजना का नाम	माह में प्रारम्भिक स्टॉक		मिल को माह में आवंटन	एफ सी आई से उठाये गये गेहूँ की कुल मात्रा	आटा निर्माण में देय छीजत (गेहूँ) की मात्रा	निर्मित आटे की कुल मात्रा	एफ पी एस को आपूर्ति किये गये आटे की मात्रा	माह में अंतिम स्टोक		कुल देय अन्तर राशि	जमा कराई गई अन्तर राशि	बकाया अन्तर राशि	विशेष विवरण
	गेहूँ	आटा						गेहूँ	आटा				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
एपीएल नियमित 6.10													
एपीएल अतिरिक्त 6.10													
टीपीडीएस 8.45													
योग													

अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

जिला प्रबन्धक का प्रमाण पत्र

1. परीक्षण उपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय खाद्य निगम से योजनावार उठाये गये गेहूँ व उचित मूल्य दुकानों को आपूर्ति किये गये आटे की मात्रा सही है।
2. परीक्षण उपरान्त प्रमाणित किया जात है कि योजनावार आटे पर देय अन्तर राशि व जमा कराई गई राशि का विवरण सही है।
आटा मिल को आवंटित किये जा रहे समस्त योजनाओं के गेहूँ की मात्रा के आधार पर आटा मिल की बैंक गारन्टी..... रु. की देय है जबकि मिलर की बैंक गारन्टी.....रु. हैं, जो देय मात्रा से.....रु. अधिक/कम/बराबर है।
3. कार्य अवधि के दौरान मिलर द्वारा की गई अनियमितताओं (उठाव/वितरण/गुणवत्ता/बैंक गारन्टी/अन्तर राशि) का विवरण :

लेखाकार

जिला प्रबंधक



RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.

(A State Government Undertaking)

Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015
Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

परिशिष्ट – 5

प्रपत्र-अ

फोर्टीफाइड आटे के प्रीमिक्स के उपयोग का प्रपत्र – माह2012

नाम आटा मिल-

माह के प्रारम्भ में स्टॉक (किलोग्राम)	प्रीमिक्स क्रय की गई मात्रा (किलोग्राम)	कुल मात्रा (किलोग्राम)	माह में निर्मित फोर्टीफाइड आटा (क्विंटल)	प्रीमिक्स मिश्रण की मात्रा (प्रति क्विंटल)	उपयोग में ली गई प्रीमिक्स की मात्रा (किलोग्राम)	माह के अन्त में स्टॉक (किलोग्राम)
1	2	3	4	5	6	7

हस्ताक्षर मिल धारक

प्रपत्र-ब

क्रय किये गये प्रीमिक्स का विवरण माह.....2012

क्र.सं.	फर्म का नाम	बिल संख्या दिनांक	क्रय की गई मात्रा	मूल्य प्रति किलोग्राम	बिल की राशि

हस्ताक्षर मिल धारक



RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.

(A State Government Undertaking)

Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015

Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfsc@gmail.com, website: www.rsfsc.org



RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.

(A State Government Undertaking)

Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015

Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfcsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

परिशिष्ट – 6

प्रपत्र

उपलब्ध वार्षिक उत्पादन क्षमता का विवरण

सभी शिफ्टों की कुल उत्पादन क्षमता 1	अन्य राजकीय संस्था / निगम / प्राइवेट संस्था से कार्यादेश एवं स्वयं हेतु प्रयुक्त क्षमता 2	शुद्ध उत्पादन क्षमता $3 = (1-2)$

सरकारी विभाग से प्राप्त कार्यादेश संबंधित उपयोग की गई क्षमता का प्रमाणिकरण संबंधित जिला रसद अधिकारी से प्रमाणित होने चाहिए।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील



RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.

(A State Government Undertaking)

Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015

Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfsc@gmail.com, website: www.rsfsc.org

क्रमांक: एफ 66(II)/साराखानाआनि./फोर्टिफाइड आटा/ 2011/13040

दिनांक: 10/2/2012

निविदा सूचना

निगम द्वारा निर्धारित योग्यताधारी फ्लोर/रोलर फ्लोर मिलधारकों से राज्य के जिला अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, बाडमेर, भीलवाडा, नागौर, चूरू, बूंदी, बारां एवं झालावाड के नगरीय सीमा तथा जिला भरतपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के लिये गेहूँ को भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से आवंटित मात्रा का उठाव कर निर्धारित मानकों के अनुसार साफ-सफाई कर निविदानुसार निर्धारित पोषक तत्व मिलाकर पिसाई करते हुये तैयार फोर्टिफाइड आटे को 10 व 20 किलोग्राम की प्रिण्टेड पॉली-प्रोपलीन थैली पैकिंग कर उचित मूल्य की दुकानों/उपभोक्ता भण्डारों/चयनित डेयरी बूथों तक पहुँचाने हेतु निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा की समस्त सूचनायें एवं निविदा फार्म खाद्य विभाग (www.food.rajasthan.gov.in) या निगम की वेब-साइट से (www.rsfsc.org) डाउनलोड किये जा सकते हैं अथवा निगम के मुख्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र का शुल्क 1000/- रु. जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा। संबंधित जिले के जिला रसद अधिकारी/जिला प्रबन्धक कार्यालय में निविदा जमा करवाने की अंतिम तिथि 1.03.2012 को सायंकाल 3 बजे तक है। तकनीकी निविदा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष दिनांक 02.03.2012 को दोपहर 12 बजे सम्बन्धित जिले के जिला रसद अधिकारी/जिला प्रबन्धक कार्यालय में खोली जायेगी।

महाप्रबन्धक (प्रशासन)